न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 234/14

1. प्रताप सिंह
2. मंगल सिंह
3. हरजिन्द्र सिंह पिसरान श्री तारासिंह जाति जटसिक्ख निवासीगण ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बून्दी जरिये अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, न्यू कॉलोनी, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शोकत अली, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2008 के द्वारा ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 06 बीघा, 1273 की 26 बीघा एवं खसरा नम्बर 1274 की रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा कुल 03 किता की 44 बीघा 04 बिस्वा भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क आवंटन का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आवंटित आदेश दिनांक 26.06.2008 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आवंटन आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि है एवं आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 40–45 वर्षों से कब्जा काश्त चला रहा है और वर्तमान

में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.06.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया । उक्त अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नजरसानी प्रस्तुत की थी । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2014 में दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई परन्तु इस न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होना नहीं पाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त करने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कई पत्र लिखे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि वांछित रिकॉर्ड से सम्बन्धित पत्रावली जरिये साधारण डाक इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः अभि0/14/115 दिनांक 09.10.2014 से राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को भिजवाई जा चुकी है। न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को तलाश करवाया गया परन्तु पत्रावली न्यायालय हाजा में आना नहीं पाया गया । ऐसी स्थिति में उक्त अपील का निरस्तरण पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर किया जा रहा है । प्रकरण में उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सिविल न्यायालय में दायर वाद संख्या 152/08 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न की गई हैं, सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07 जुलाई, 2012 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आवंटन आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ

न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि है एवं आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 40–45 वर्षों से कब्जा काश्त चला रहा है और वर्तमान में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर बोरिंग करवाया है और कमरे का निर्माण करवाया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दिनांक 13.06.2008 को दावा प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.06.2008 को वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश पारित किया गया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का आवंटन कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.06.2008 निरस्त किये जावें ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी ने दिनांक 05.11.2007 के द्वारा उक्त आवंटित आराजी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु आरक्षित रखने का आदेश पारित किया था । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2008 के द्वारा ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 06 बीघा, 1273 की 26 बीघा एवं खसरा नम्बर 1274 की रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा कुल 03 किता की 44 बीघा 04 बिस्वा भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क आवंटन का आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिसके बाबत् अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन जनहित में निःशुल्क आवंटन किया है । आराजी राज्य सरकार की स्वीकृति से आवंटन की गई है जिसके खिलाफ अपील मेंन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट ने पूर्व आदेश जिसमें उक्त भूमि को आरक्षित रखने का आदेश पारित किया है उसे चैलेंज नहीं किया है । अतः अपील अमीलान्ट सारहीन होने से खारजि फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2008 के द्वारा ग्राम देवपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1266 रकबा 06 बीघा, 1273 की 26 बीघा एवं खसरा नम्बर 1274 की रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा कुल 03 किता की 44 बीघा 04 बिस्वा भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त निःशुल्क आवंटन का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में दिनांक 05.11.2007 को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु आरक्षित रखने का आदेश पारित किया था ।

11. पत्रावली पर जिला कलक्टर बून्दी का आदेश दिनांक 26.06.2008 और दिनांक 05.11.2007 की प्रमाणित प्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की निर्णय दिनांक 01.07.2014 की प्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 11.04.2018 की प्रमाणित प्रति, जिला कलक्टर बून्दी के संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2008 की प्रति संलग्न है ।

12. अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका गत 40 वर्षो से कब्जा है इसलिए वे व्यथित पक्षकार हैं व उन्होंने न्यायालय में अपील पेश की है परन्तु पत्रावली पर जो दस्तावेज संलग्न है उसके अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिसका आवंटन जनहित में जिला कलक्टर बून्दी ने सीवरेज ट्रीटमेंट हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किया है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि अतिक्रमी को आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकसस्टण्डाई नहीं होता है । अतिक्रमी के कब्जे वाली भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध आराजी माना जावेगा । वादग्रस्त आराजी सरकार सिवायचक भूमि है जिसमें अपीलान्ट स्वयं को हितबद्ध पक्षकार सिद्ध नहीं कर पाया है । आराजी उनके खाते में दर्ज नहीं है अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण होना बताते हैं । अतिक्रमी को आवंटन के खिलाफ अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन राज्य सरकारी की स्वीकृति से किया गया है व राज्य सरकार के विरूद्ध अपील सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2008 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा